न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/25 **दायरा दिनांक : 11.01.2023**

उनवान

गोविन्द कंवर आयु 32 वर्ष पुत्री नन्दसिंह पत्नी गुड्डू सिंह, जाति राजपूत, निवासी जगजीवनराम कॉलोनी बारां, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. छीतर सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र नन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी कांकडदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
2. भंवरबाई पुत्री नन्दसिंह पत्नी नारायण सिंह (बचला) जाति राजपूत, निवासी खजुरपुरा चौराहा बांरा, जिला बारां राज0
3. नरेन्द्र कंवर पुत्री नन्दसिंह पत्नी जगदीश सिंह हाडा (अध्यापक) जाति राजपूत, निवासी रजतगृह कॉलोनी गेट नं. 3 बून्दी जिला बून्दी
4. गिरजा कंवर पुत्री नन्दसिंह पत्नी श्रवण सिंह, जाति राजपूत, निवासी खजुरपुरा वार्ड बारां हाल निवासी मकान नं. 29 गोपाल बिहार कॉलोनी झालावाड, जिला झालावाड
5. मोहन कंवर पत्नी नन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी कांकडदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ.पी. मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.09.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 00259/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कांकडदा, पटवार क्षेत्र कांकडदा, तहसील किशनगंज की आराजी जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 132 पुराना 131 की आराजी खसरा नं. 160 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 331/10 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 597/340 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 599/164 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है एवं ग्राम कांकडदा, पटवार क्षेत्र कांकडदा, तहसील किशनगंज की आराजी जमाबंदी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 45 पुराना 44 की आराजी खसरा नं. 334 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 525/588 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 से वाद वादिया खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध न्यायालय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 को पारित किया गया है जो काबिले निरस्तनीय है। ग्राम कांकडदा, तहसील किशनगंज की आराजी कुल 4 किता कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा एवं ग्राम कांकडदा, तहसील किशनगंज की कुल 2 किता कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी है जो नन्दसिंह की पैत्रिक सम्पत्ति एवं उसी से बनायी गयी जायदाद है। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण नन्दसिंह के वैधानिक वारिस है। इस प्रकार नन्दसिंह के खाते की आराजीयात में उसके सभी वारिसान का समान रूप से हक व हिस्सा निहित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रसास किया गया, मनमाने रूप से अपीलांट/वादनी का वाद निरस्त किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपने विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया जिस प्रकार से निर्णय लिखा गया है निर्णय की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा, जवाबदावा, तनकीयात, बयान पी. डब्ल्यू. 1 गोविन्द कंवर, पी. डब्ल्यू. 2 मुकुट बिहारी, पी. डब्ल्यू. 3 प्रेम नारायण के बयान लेखबद्ध करवाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से डी. डब्ल्यू. 1 हंसराज इसके बाद प्रतिवादी कम 4 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना पत्र व उसके जवाब तथा प्रतिवादी कम 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा इसके बाद डी. डब्ल्यू. 5 छीतरसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये का वर्णन करके मात्र यह लिखकर कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य ओर पेश नहीं करना चाहता प्रतिवादी साक्ष्य समाप्त की जाती है। वादी के वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड राजस्व रिकार्ड वादनी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा फोटो प्रति बयान वादी/प्रतिवादी का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्योपरान्त वादी का वाद खारिज योग्य है। मानकर फैसला लिखा गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार द्वारा कहीं भी अपने स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, न किसी तनकी का कोई विवेचन किया गया है, जबकि विधि सम्मत रूप से वाद के निस्तारण के लिये कायम की गई तनकीयात का तनकीवार विश्लेषण कर उन्हें

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

निर्णित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित न कर न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 निरस्त किया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि उभयपक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत रूप से तनकीवार विश्लेषण कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं बहस के दौरान कथन किया कि नन्दसिंह पूर्व खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है। नन्दसिंह द्वारा सम्पूर्ण आराजी की वसीयत छीतर सिंह के पक्ष में की गई। सम्पूर्ण आराजी में हमारा 1/6 हिस्सा निहित है और उसी के लिए दावा किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में कोई फाईण्डिग नहीं दी है और ना ही तनकियों का विश्लेषण कर विस्तृत निर्णय पारित किया है, तनकी नं. 2 पैतृक सम्पत्ति पर बनायी गयी थी, जिसका भी विश्लेषण नहीं किया गया, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति साबित नहीं किया गया है। कुछ आराजी क्रय की है और कुछ आराजी आवंटित है। सम्पत्ति अर्जित की गई है और हमारी वसीयत भी पंजीकृत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने के कारण अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम कांकडदा, पटवार क्षेत्र कांकडदा, तहसील किशनगंज की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 132 पुराना 131 की कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा एवं ग्राम कांकडदा की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 45 पुराना 44 की कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी को विवादित आराजी बताते हुए वादिया के 1/6 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के दावे एवं प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में 9 तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया के वाद पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए जो निर्णय पारित किया है, उसमें किसी भी तनकी का वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर विधिवत विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। तनकीवार विवेचन के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि मान्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2022 खारिज की जाती है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.10.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/09/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा